Classes Finance Development Corporation for the welfare of backward classes. The amounts are very inadequate. What is the basis of providing funds for the welfare of backward classes? Is it done on the basis of population just as it is being done in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes? If not, why? That is one thing. The Government of India is interested in the welfare of the backward classes who are below the poverty line, but the State Government of Andhra Pradesh is not providing even stipends to the backward class students, studying in high schools and colleges. And they say, there is dearth of funds! Therefore, how are we going to help the students of backward classes to carry on their education in colleges and also in high schools?

SHRI K.V. THANGKA BALU: Sir, the hon. Member is right that according to the population, we are not allocating funds so far. Sir, this is a new Corporation which has come into being to help the backward communities at large. Recently, our Government has enunciated a Reservation Policy. Apart from reservation, another thing is social development. That is one of the main factors; that is why this Corporation has come into being. And we have requested all the State Governments to prepare and submit proposals for the welfare and development of backward classes and communities and ask funds for them. We want that the State Governments should come forward and ask. There is no second opinion. As and when the State Governments want our help, we are willing to give in whatever from they want it. And particularly regarding Andhra Pradesh Government asked for funds worth Rs. 14 crores for a number of schemes and we had sanctioned the full amount and they are utilising them very effectively. Their system is very effective and the State Government has set a model for the country, I must say here.

Regarding his second question, whether we are going to allocate funds for the backward classes according to their population. Sir, the backward classes population is over 50 per cent. At the moment, we have no idea. It is a need and we will certainly try to examine the proposals of the hon. Member.

Restrictions on movement of foodgrains

*323 SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there are any restrictions on the movement of foodgrains in the country;

(b) the manner in which Government ensures that there is no regional disparity in the availability of foodgrains in the country; and

(c) the detailed plans made for the proposed food security scheme.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) In March, 1993, Central Government advised all the States/UTs. to remove all types of movement restrictions on foodgrains. In response to this, all the States/UTs, excepting West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and J & K, have either removed the existing movement restrictions on paddy/rice or have intimated that there exists no movement restrictions on foodgrains. The State Governments of Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu and J & K, are being persuaded to remove the restrictions.

(b) Allocations of wheat and rice from Central pool to various States/UTs for the PDS/RPDS are made on month to month basis, having regard to the stocks available, seasonal availability, relative needs and off-take trends. The allocations from Central Pool are supplemental in nature and not meant for meeting the entire requirements of State Governments and UTs. The Central Government has also undertaken open sale of wheat and rice in different parts of the country to meet local requirements.

Besides, removal of all restrictions on the movement of foodgrains will help in better distribution and availability of foodgrains all over the country.

(c) The concept of food security is basic to planning for production, stocking and distribution of foodgrains. A constant watch is kept on the production levels and stocks of foodgrains and efforts are made to have sufficient foodstocks in Central Pool to ensure adequate availability of foodgrains.

श्रीमती कमला सिन्हा: सर, मंत्री महोदय का जवाब जो पटल पर रखा गया है वह सही नहीं है, बहुत हे मिसलीडिंग है। 1993-94 के बजट भाषण में यह कहा गया था कि अनाज का आवागमन मुक्त कर दिया जा रहा है, फ्री फूडग्रेन मूवमेंट होगा। उसके बाद 1994-95 के बजट भाषण में फिर से कहा गया। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हरेक प्रांत में जिले के अन्दर भी अनाज का आवागमन, अनाज का भेजा जाना रोका जाता है और प्रांत की सीमा पर भी रोका जाता है। अब रेवेन्यु डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाले, सेल्स टैक्स वाले, पुलिस वाले रोकते हैं, इसैंशल कमोडिटीज़ सिविल सपलाईज़ डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं, तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि सरकार का कौन का कथन सत्य है? 93-94 वाला या 94-95 वाला जो आज दो देश में सही हालत है,वह सही है?

श्री बलराम जाखड़: सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उस में दोनों बाते सही हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? किसान चाहता था, उसकी जह मांग थी कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स का खुले आवागमन की हर जगह छूट है तो किसान की पैदावार को क्यों न हो? उसी को मुद्दे नजर रखते हुए एग्रीक्लचर मिनिस्ट्री ने मूव किया था और फूड मिनिस्ट्री ने उस बात को मानकर उस हिसाब से 26 मार्च, 1993 को फैसला किया और लागू करने की बात कही गई कि देश में जहां-कहीं भी अनाज पैदा हो, उस को देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है और जाना चाहिए। इस में जहां तक हमें इत्तला प्राप्त हुई है यह सही है। वेस्ट बंगाल, आंध प्रदेश, तमिलनाडु और चौथा जे. एंड के. जहां कि प्रश्न पैदा नहीं होता आने-जाने का क्योंकि उन के पास फालतू नहीं है। वहां उन्होंने बंदिश लगा रखी है। कोशिश की गयी है उन को ठीक रास्ते पर लाने की कि यह काम ठीक नहीं है, गलत है। इस के पश्चात् अगर वह ठीक रास्ते पर नहीं आते तो मैं चाहूंगा आप की मदद से और फूड मिनिस्ट्री से कहूंगा कि वह जो भी संशोधन कर सकें, जिस तरीके से भी और जैसे भी कानून में वह बात पैदा कर सकें, वह करना चाहिए क्योंकि अगर किसी स्टेट ने या सरकार ने किसी भी तरीके से सस्ता अनाज मुहैया करना है तो किसान के कंधे पर लादने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने रिसोर्सेस से दें। हमें वह उस तरीके से इस्तेमाल न करें कि हमारे कंधे पर भार हो। मैं आप से और हाउस से भी यही बात कहना चाहता हूं कि हमारी यह पक्की राय है कि इस आवागमन में किसी की भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। इस के लिए हम प्रयत्नशील हैं।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति जी, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, यह जवाब भी हेतु मदमून है। उन्होंने अपनी समस्या हमारे कंधे पर लाद दी है। सभापति जी, मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहती हूं यह सही है कि जिन अंचलों में अनाज ज्यादा उत्पादित होता है वहां से दूसरी जगह भेजा जाता है, लेकिन सरकार की ओर से एक आर्टीफिशियल व्यवधान पैदा किया जाता है जिस के कारण "इन रिजल्ट होता यह है कि उपभोक्ता है जिस को कि अनाज चाहिए, उस को मुसीबत होती है, किसान को उस का उचित मूल्य नहीं मिलता है और आर्टीफिशियल प्राइस राइज हो जाती है जिससे कि बिचौलिया माल कमाता है। सभापति, महोदय, जैसा जीना हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से जीने के लिए पानी, हवा और अनाज-ये तीनों चीजें आवश्यक हैं उन के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अनाज को फंडामेंटल सामग्री मानकर इस के एक जगह दे दूसरी जगह भेजने के रास्ते मे जो भी कठिनाई आए, क्या उस को दूर करेगी?

श्री बलराम जाखड़: इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए मैंने कहा। अगर पंजाब में बाजरा ज्यादा होता है तो वहां उस का भाव कम होगा। मद्रास मे अनाज कम होता है, वहां ज्यादा भाव होगा और बीच वाला खा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए यह किया गया था कि खुली आवाजाही हो। उस में किसी किस्म की बंदिश न हो। यह बात उन लोगों को कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सारा सदन भी कहे, सरकारों को भी कहे कि अगर तुमने कोई नेक काम कर के वाह-वाही करवाना है तो किसान के कंधे पर बंदूक मत चलाइए। अपने पैरों पर खड़े हो और अपने रिसोर्सेस पैदा करो। हमारे कंधे पर लादकर वाहवाही क्यों लेना चाहते हो? दो रुपय बेचना चाहते हो, पांच रुपय बेचना चाहते हो, यह बिल्कुल गलत है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती कि किसानों को क्यों गधा बनाया जा रहा है?

मौलाना औबैदुल्ला खान आजमी: सूबाई हुकूम। अगर ऐसा कर रही हैं तो ....(व्यावधान)....क्या करेंगे? आप उन को कानून को शिकंजे के क्यों नहीं कस रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़: एक बात होती है, कुछ चीजे होती हैं जोकि समझ की होती हैं। यह एक समझ की बात है, तो हमें करनी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, प्रश्न के "ख" भाग में लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि आप राज्यों को पी.डी.एस. में बेचने के लिए गेहूं और चावल एलोकेट करते हैं और उसके साथ ही आपने कहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खुले बाजार में भी अनाज, गेंहूं और चावल शुरू कर दिया है। .....(व्यवधान)

श्री जगेश देसाई: सस्पेण्ड कर दिया है। It has been suspended from the 31st July this year.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आइडेंटीफाई तो आपने मुझे किया है मैंने तो अभी लिखित उत्तर बताया है। अगर सस्पेण्ड किया, तो उन्होंने इसमें लिखा नहीं है। मैं उनका उत्तर पढ़कर सुना देती हूं।

> "The Central Government has also undertaken open sale of wheat and rice in different parts of the country to meet the local requirements."

सस्पेंशन का कोई जिक्र नहीं किया है उन्होंने बात कही है, मैं उसी के आधार पर पूछना चाहती हूं, सभापति जी, कि दो तरह की चीजें यह राज्य सरकारों को कह रहे हैं, पू.डी.एस. से बेचने के लिए एलोकेट करते हैं और ओपेन सेल में भी बेच रहे हैं वहां। इन दोनों के दामों में क्या अंतर है? यानी जो स्टेट को आप एलोकेट करते हैं वह किस दाम पर करवाते हैं राज्य सरकार को, और जो ओपेन सेल में बेच रहे हैं वह किस दाम पर बेचा जाता है? इन दोनों का अंतर आप बताइए।

श्री बलराम जाखड़: वह पी.डी.एस. का जो दाम नियमित किया जाता है उसी पर दे देते हैं उनको और बाकी Open sale means open sale.

श्रीमती सुषमा स्वराज: यही इस में पेच है कि पी.डी.एस. और ओपेन के दाम में कोई अंतर रह नहीं गया।

श्री बलराम जाखड़: तो अच्छा है, न

श्रीमती सुषमा स्वराज: अच्छा कहां से है?....(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: और क्या? अगर हमारे पास फालतू अनाज है तो दे देते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी, अगर ओपेन सेल और पी.डी.एस. के भाव में अंतर नहीं होगा...(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: सर, जगेश देशाई जी जो कह रहे हैं, यह भी ठीक है कि 31 जुलाई तक था यह, लेकिन अभी भी अंडर कंसीडेशन है। यह कंसीडेशन में है क्योंकि आइंदा भी इस सेल को जारी रखने के लिए मसला आ रहा है। तो फिर इसको दुबारा देखेंगे। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वह जगेश जी के लिए उनका जवाब है। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलराम जाखड़: अरे, सोच रहे हैं दुबारा इस पर और जल्दी फैसला होने वाला है। ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: सर, इसमें एक तो वह बात पैदा होती है, जो उन्होंने सवाल किया है और दूसरा यह है कि आप अगर इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**).. आपने दोनों का दाम बराबर कर दिया तो गरीब आदमियों के लिए मुसीबत हो गई क्योंकि आपके ओपेन मार्केट का जो रेट है उसमें अंतर नहीं, जैसा सुषमा जी ने बताया। वही बात है ...(**व्यवधान**)...

श्री बलराम जाखड़: देखिए, ऐसा है कि जो पी.डी.एस. में दे रहे हैं वह तो जितनी वह मांग देते हैं वह दे देते हैं, लेकिन जो और मार्केट में देते हैं उसका मतलब यह थोड़े ही है कि कोई खरीदे, उसको भाव ज्यादा लगाना है। वह तो जो पी.डी.एस. में है वह खरीदे। उसके लिए मजबूरी नहीं है कि वह ओपेन सेल से ले। ओपेन सेल इसलिए करते हैं कि हमारे पास फालतू है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप जिस आर्थिक नीति की दुहाई दे रहे हैं, पी.डी.एस. ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer. (*Interruptions*). Don't convert it into a debate.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, राशन की दुकान पर अगर 6 /- रुपए किलो गेहूं बिकता है तो पी.डी.एस. चलाने का क्या फायदा है? यह मेरा सवाल है। जब तक आप बाजार भाव से इसका भाव कम नहीं करेंगे तब तक पी.डी.एस. का गरीबों को लाभ नहीं होगा।

श्री बलराम जाखड़: वह तो बाजार भाव से कम है ही। ...(**व्यवधान**)..

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं है। यही तो मैं जानना चाह रही हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Som Pal. (*Interruptions*). I have called the name of Shri Som Pal.

श्रीमती सुषमा स्वराज: पी.डी.एस. में 6/- रुपए गेहूं बिकता है। आप इसका अंतर नहीं बता रहे हैं। जब तक आप कंफर्म नहीं बताएंगे कैसे पता चलेगा।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, she has put a very important question. She wanted to know whether the price for the open market sale and for the PDS is same or it is different. If it is different, what is the difference? This is the question.

श्री बलराम जाखड़: सिविल सप्लाई मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं, उनकी भी यही राय है और उनकी बात यह है कि जो हम पी.डी.एस. में देते हैं वह दूसरे से सस्ता करके देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कितना सस्ता देते हैं? अंतर ही तो मैं जानना चाह रही हूं। अगर 20 पैसे सस्ता देते हैं तो क्या सस्ता देते हैं? पी.डी.एस. में 6 /- अगर देते है और 6 रुपए 20 पैसे बाजार में बिक रहा है तो क्या मायने है? अंतर ही तो मैं जानना चाह रही हूं।

श्री बलराम जाखड़: सबसिडाइज करके दिया जाता है। उसका आप भेज दीजिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं अंतर जानना चाह रही हूं। मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि कितना अंतर है?

MR. CHAIRMAN: Finally, the Minister has taken your advice.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): Sir, the hon. Member is right. Sir, under the PDS, foodgrains are sold on issue sale price which is fixed by the Government. But, in the open market the price is governed by competition. There are two things. Under the PDS one has to stand in a queue to get cetain things and he cannot buy whatever he wants. *(Interruptions).*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, यह तो हमें भी पता है। यह महकमा मेरे पास रह चुका है। जो चीज आप बता रहे हैं, वह मुझे भी मालूम है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions).*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I want to know the difference.

पी.डी.एस. की दुकान पर बिकने वाला गेहूं सस्ता है या नहीं? ...(व्यवधान).

SHRI BUTA SINGH: Sir, there is slight variation. बहुत थोड़ा फर्क है। The price variation is very marginal. So, people prefer to go to the open market, which is a welcome thing. On the contrary, Sir, the foodgrains offered to the States are not being lifted by the State Governments themselves. There is no dearth of foodgrains. That is why... *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्योंकि पी.डी.एस. में सस्ता नहीं है ...(व्यवधान)..

SHRI BUTA SINGH: And, the price variation is not much. Therefore, ...*(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपका जवाब मेरी बात को फालो नहीं कर रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please. I have called the next Member. *(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: ...It is not the P.D.S., therefore, Sir, ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You please ask your question.

SHRI SIKANDER BAKHT: The answer is not coming. I am very sorry, Sir. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: But the question relates to another Minister's portfolio ...*(Interruptions)*

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): It is very strange, Sir. I am not asking for anything...*(Interruptions)* Why is it not his portfolio, Sir; The point is that the straightforward answer is not coming. What is the difference in the two prices? What is the difference? It is a very simple question. The simple answer is not coming. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The difference is because the market price is ....*(Interruptions)*...and so, there is no fixed price. *(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, as I understand it, for one you have to stand in the queue and for the other you don't havt to! That is the only difference that they are telling us. But that is not the difference; The difference is in the price.

MR. CHAIRMAN: The difference in price is determined by the market in one place and in another place it is determined by the Government...*(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: But what is that price fixed by the State?

MR. CHAIRMAN: It varies from State to State obviously. *(Interruptions)* No. I am not converting it into a debate, please.

SHRI SIKANDER BAKHT: But the answer must come, Sir. *(Interruptions)*

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से ले जाने की बात का विचार बहुत दिनों से चल रहा है और उसका कारण यह है, उसका तर्क यह है कि जहां सरप्लस फूड ग्रेन पैदा होता है, खाद्यान्न अधिक पैदा होता है वहां से उन राज्यों में यह भेजा जाता है जहां खाद्यान्न कम पैदा

होता है। एक तरफ तो उत्पादक को दाम कम मिलता है और दूसरी तरफ उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं जिसमें अनावश्यक और अवैधनिक रोक की बात भी है, उसके ऊपर उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, उससे खर्चा बढ़ जाता है। 1993-94 की बात मैं आपको बताऊं कि पंजाब में 3.40 रुपए गेहूं का भाव था और बम्बई में 7.50 रुपए से 11.00 रुपए तक उसका भाव था। इसीलिए उसको मुक्त किया गया था परन्तु जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को तो अनाज लाने-ले जाने की छूट है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब का या हरियाणा का किसान, किसके पास इतना खाधान है, किसके पास इतना ट्रांसपोर्ट है या ग्राहक को ढूंढने की किसके पास सुविधा या संसाधन हैं कि वह हरियाणा से ले जाकर उसको बम्बई में बेच दे? जब तक आप खाद्यान्न के ऊपर, उसकी मूवमेंट के ऊपर से सारी पाबंदी नहीं हटाएंगे, तब तक यह काम ठीक होने वाला नहीं है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि कमला सिन्हा जी ने कहा कि यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इसके बगैर जीवन चल नहीं सकता, क्या इसको व्यक्ति का मूल अधिकार मानकर, अनाज को कोई कहीं ले जाए, इसके लिए केन्द्रीय सरकार कोई कानून लाना चाहेगी? कृषि मंत्री जी ने यहां पर बड़ी विवशता प्लीड की है, बड़ी कमजोरी दिखाई है और यह मामला भी हमारे जिम्मे कर दिया है। अगर आप लाएंगे, मैं सदन के बिहाफ पर, खासकर अपोजीशन के, आपको वचन देता हूं कि हम उसका समर्थन करेंगे। आप इसको मूलभूत अधिकार मानकार उसका मूवमेंट बिल्कुल फ्री करें। क्या आप कोई लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं इसके लिए और यह हमारी कृषि समिति की सिफारिश भी है?

श्री बलराम जाखड़: मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कोई दो रायें ही नहीं कि बीच में से किसान ज्यादा अकेला नहीं ले जा सकता है, लेकिन अगर उसको आवाजाही की छूट दे दी जाए तो भाव कंज्यूमर को, ठीक है, सस्ता मिलेगा और पैदा करने वाले को ज्यादा मिलेगा।

श्री सोमपाल: आप इसको तोड़िए-मरोडिए मत मंत्री जी

It is very specific question whether you would like to bring a law recognising it as a fundamental right and make it completely free of all restrictions. (*Interruptions*)

श्री बलराम जाखड़: इससे बड़ा फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता जीवन में कि अनाज मिले।

श्री सोमपाल: क्यों नहीं हो सकता?

श्री बलराम जाखड़: इससे बड़ा क्या राइट होगा कि अनाज मिलना चाहिए।

श्री सोमपाल: मंत्री जी यह तो कोई बात नहीं है।

SHRI BALRAM JAKHAR: No. It is a fundamental right.

We must have it. There is no question about that. I agree with you

कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो एक बात चाहता हूं कि

I will strive to get that Bill straightaway.

यह कानून भी पूरा बनाया जाए जिसमें स्टेट्स भी उल्लंघन नहीं कर सकें।

I am for that.

श्री सोमपाल: इसीलिए मैंने केन्द्रीय कानून की बात कही है।

There, I am pleading for a Central legislation. And, for that the States are also bound to it.

श्री बलराम जाखड़: यही तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मैं पूरे तौर पर प्रयत्न करूंगा कि यह कानून आए जिससे कि स्टेट बीच में टांग अड़ाए ही नहीं। अभी इसके लिए फूड मिनिस्ट्री से करना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसके अधीन आता है। ...(**व्यवधान**)... यह प्रश्न देने वाले ने भी भूल की है और इन्होंने, एडमिट करने वालों ने भी भूल की है, दोनों ने भूल की है।

SHRI S.S. SURJEWALA: Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Union Agriculture Minister for removing all restrictions in the movement of foodgrains. But, at the same time, I would like to know from the Minister whether he is aware that the Railways have refused to book piecemeal wagons and they say that they will only book rakes. Even the small traders are not able to move rake, and, therefore, the movement of foodgrains is restricted, indirectly by the Railway Ministry. Will the Agriculture Minister take up with the Railway Ministry the issue of providing piecemeal wagons to farmers and traders so that foodgrains can be moved?

SHRI BALRAM JAKHAR: Sir, we have already been trying for that...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Request by Government of Kerala for increasing assistance

*324. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Government of Kerala has requested for increase in assistance for cutting and removal of rootwilt affected coconut palms in Kerala; and

(b) whether any decision has been taken on it and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ITDA's Lack of Coordination

*325. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ITDA offices all over the country are not adequately coordinating their work with the local blocks;

(b) if so, the reasons for the negiect;

(c) the directions given to ITDA offices in different States to consult and coordinate their work with the local Mandal or Block offices; and

(d) the details of the steps proposed in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The I.T.D.A. offices try their best to coordinate with local agencies including Blocks, though there could be working difficulties in some cases.

(c) and (d) The Central Government has impressed upon the State Governments the desirability of empowering the Project Officers to have control over the Block Development Officers as they have been entrusted with the responsibility of implementation of various development programmes for the Scheduled Tribes.

जातियों की सूची में क्षेत्रीय विषमता

*326. श्री राम देव भंडारी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके नाम, व्यवसाय, रहन-सहन एक समान होते हुए भी वे एक राज्य में अनुसूचित जाति और दूसरे राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विषमता को समाप्त करना उचित समझती है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है और इसे कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) समुदायों को अनूसचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध करने का कार्य प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदण्डों के अर्हक मानदंडो के आधार पर किया जाता है। किसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता है जिसके कारण एक समुदाय एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति और दूसरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हो सकता है।

(ख) ऐसे नमूने मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) तथा (घ). (ग) में दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।